



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 174 राँची, गुरुवार, 22 माघ, 1937 (श०)
11 फरवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

5 फरवरी, 2016

संख्या-03/न.वि./विविध JUSIP(World Bank)-04/2014-694--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O&M No.-04/02/2012-FBII Gol द्वारा स्क्रीनिंग कमिटी की 56वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए Jharkhand Sustainable Urban Development Project (JSUDP) नामक योजना की स्वीकृति US \$ 300 Million अर्थात् रू. 1980.00 करोड़ (1US \$ = 66/-रू.) की लागत पर दी गई है ।

2. JSUDP के अधीन स्वीकृत उक्त राशि से केन्द्र प्रायोजित AMRUT, SBM, Smart City आदि योजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा ताकि जलापूर्ति, परिवहन, सिवरेज-डेम्पेज, स्ट्रीट लाईट, आदि प्रक्षेत्रों में योजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास एवं शहरी प्रबंधन एवं प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाया जा सके ।

3. JSUDP के सम्यक् संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (State Urban Development Agency) को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

4. निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से विभाग द्वारा चयनित योजनाओं का विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा ।

इस क्रम में झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी, लिमिटेड के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन संस्था (State Implementing Agency [PIA]) गठित कर निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण को सभी प्रकार का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा ।

5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।
